[25/7/2019]

प्रश्न सं. [क्र. 1378]

प्रपत्र 'अ'

विधानसभा सत्र जुलाई 2019 बैठक दिनांक 25.07.2019
विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1378 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री गिरीश गौतम

कलेक्टर (संभागीय योजना एवं सांख्यिकीय) रीवा द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदाय की जानकारी :–

...निर्माण कार्य, शासकीय भूमि पर कराये जावें या कहीं निजी भूमि बीच में आती है तो संबंधित भू-स्वामी ...शासन के पक्ष में दानपत्र लिखने एवं तदानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन होने के उपरान्त ही प्रारम्भ किया जावे।

...कार्यस्थल पर बोर्ड लगाया जावे जिसमें मान. विधा. का नाम / विधा. क्षेत्र एवं स्वीकृत राशि मजदूरी दर आदि जानकारी अंकित की जावे।

6. स्वीकृत कार्य की द्वितीय किश्त की राशि की मांग हेतु प्रथम किश्त की राशि की उपयोगिता हेतु माप पुस्तिका की छायाप्रति एवं निर्माण कार्य के फोटोग्राफस मांग पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. कार्य के लिए स्वीकृत राशि में से कंटिन्जेसी के रूप में कार्यालयीन व्यय, आवर्ती व्यय, वाहन व्यय तथा स्थापना मद में किया जाने वाला व्यय पूर्णतः प्रतिबंधित है।

8. स्वीकृत कार्य का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह को 10 तारीख तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावे। तथा कार्य पूर्ण उपरांत एक सप्ताह के अंदर कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं परिसपत्ति हस्तांरण तथा शेष राशि इस कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

9. उक्त कार्य 31 मार्च 2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

10. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो को ठेकेदारी प्रणाली के माध्यम से कराया जाता है तो ठेकेदारों के चयन के लिये निर्धारित विभागीय प्रणाली का अनुसरण किया जावे।

11. कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार उच्च गुणवत्ता का ही कराया जावे।

12. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया है, निर्माण कार्य नवीन है एवं निर्माण कार्य किसी अन्य योजना / मद से पूर्व में स्वीकृत नहीं है।

13. इस लिखित दस्तावेज को राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किया जाए। इस शर्त की पूर्ति नहीं की जाने पर शेष राशि प्रदाय नहीं की जावेगी।

कलेक्टर
जिला रीवा (म.प्र.)

पृ० क्रमांक / 2229 / सं.यो.सां.का. / वि.नि. / 2018–19 / 2873 रीवा, दिनांक 5/10/18

प्रतिलिपि–

1. माननीय श्री गिरीश गौतम, विधायक, विधानसभा क्षेत्र–देवतालाब जिला रीवा को सादर सूचनार्थ।
2. क्रियान्वयन एजेन्सी– अधीक्षण यंत्री / सदस्य सचिव (जिला क्रय समिति) संचा / संधा. संभाग म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. मऊगंज की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महालेखाकार ग्वालियर म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4. जिला कोषालय अधिकारी, रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. लेखा शाखा, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
संभागीय योजना एवं सांख्यिकी
रीवा (म.प्र.)

सत्य प्रतिलिपि

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर

विधानसभा सत्र जुलाई 2019 बैठक दिनांक 25.07.2019

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 1378 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री गिरीश गौतम

(प्रपत्र–"ब")

ग्राम पंचायत रतनगंवा एवं बमुरिहा में ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य हेतु आवंटित ठेकेदारों की जानकारी

क्र.	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	कार्य का विवरण
1	श्री संदीप कुमार तिवारी, ग्राम अन्नतपुर, रीवा	018 / 22.01.19	11 के.व्ही., एल.टी. लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापना ग्राम रतनगंवा
2	श्री संजीव द्विवेदी, ग्राम बासा रीवा	019 / 22.01.19	11 केव्ही, एल. टी. लाईन एवं ट्रांसफार्मर स्थापना ग्राम बमुरिहा

अनुभाग अधिकारी
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन
भोपाल

महाप्रबंधक (कार्य)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
जबलपुर